The Motor Vehicles (The Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1972

Act 25 of 1972

Keyword(s):
Central Act Amendment, Motor Vehicles Act, 1939

Amendments appended: 32 of 1978, 8 of 1989, 5 of 1993

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

CBp·3
135828

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1–4–1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7–4–1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 1-5-1972 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 1–5–1972 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

1939 के ऐक्ट 4 में नयी धारा 43-ए का बढ़ाया जाना

2—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

"43-ए—(1) राज्य सरकार पथ-परिवहन से सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण अथवा किसी संभागीय परिवहन प्राधिकरण को ऐसे सामान्य प्रकार के निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह लोक-हित में आवश्यक या इष्टकर समझे, और ऐसा परिवहन प्राधिकरण ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

परिवहन प्राधिकरणो को निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

Price 05 Paise.

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 1–4–1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि सभी पात्र प्रार्थियों को यात्री-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र (ऐसे मार्गों या क्षेत्रों के सिवाय जिनके लिए धारा 68-सी के अधीन योजनायें प्रकाशित की गयी हों) या ठेका-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र या सार्वजनिक भार वाहन अनुज्ञा-पत्र देना लोक-हित में है तो वह गजट में अधिसूचना द्वारा तदनुसार निदेश जारी कर सकती है, और तदुपरान्त सभी परिवहन प्राधिकरण और धारा 64 के अधीन संघटित राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण भी तदर्थ सभी आवेदन-पत्रों, अपीलों और पुनरीक्षणों पर (जिसके अन्तर्गत विचाराधीन कोई आवेदन-पत्र, अपील तथा पुनरीक्षण भी है) इस प्रकार विचार तथा कार्यवाही प्रारम्भ करेगा, मानो कि—

(क) धारा 47 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी गयी हो, अर्थात्—

"(1) कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण यात्री-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्—

(ए) सामान्य रूप से जनता का हित ;

(बी) सेवा से, जिसकी व्यवस्था की जायगी, जनता को होने वाले लाभों जिसके अन्तर्गत उससे समय में होने वाली बचत की सम्भावना और ऐसी सुविधा भी है जो व्यवधान-रहित यात्रा से मिले ;

(सी) किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों को ऐसा लाभ जिसकी सेवा से प्राप्त होने की सम्भावना हो;

और किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत प्रस्तावित मार्ग या क्षेत्र का कोई भाग पड़ता हो, दिये गये किन्हीं अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगा।" ;

(2) उपधारा (3) निकाल दी गयी हो ;

(ख) धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी गयी हो, अर्थात्—

"50—कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ठेका-गाड़ी अनुज्ञा-पत्र के लिए आवेदन-पत्र पर विचार करते समय, इस बात का भी ध्यान रखेगा कि लोकहित में किस सीमा तक अतिरिक्त ठेका-गाड़ियां आवश्यक या वांछनीय हो सकती हैं, और किसी ऐसे अभ्यावेदन पर भी विचार करेगा जो उस सम्भाग के किसी स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा इस आशय से तत्समय दिया जाय या पहिले ही दिया गया हो कि उन ठेका-गाड़ियों की संख्या, जिन के लिए अनुज्ञा-पत्र पहले दिये जा चुके हैं, सम्भाग या सम्भाग के अन्तर्गत किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं या आवश्यकता से अधिक हैं।";

(ग) धारा 55 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी गयी हो, अर्थात्—

"(1) कोई सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सार्वजनिक भार वाहन अनुज्ञा-पत्र के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्—

(ए) सामान्य रूप से जनता का हित ;

(बी) सेवा से, जिस की व्यवस्था की जायगी, जनता को होने वाले लाभों और ऐसी सेवा की व्यवस्था से जनता को मिलने वाली सुविधा और उससे समय में होने वाली बचत की सम्भावना.

(सी) किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों को ऐसी सेवा से मिलने वाले लाभ की सम्भावना.

(डी) ले जाये जाने वाले माल का प्रकार विशेष रूप से किसी भंगुर या शीघ्र नष्ट होने योग्य किसी माल के सन्दर्भ में;

और किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण द्वारा जिसकी अधिकारिता के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग का कोई भाग पड़ता हो, दिये गये किन्हीं अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगा।";

(2) उपधारा (2) निकाल दी गयी हो ;

(घ) धारा 57 में—

(1) उपधारा (3) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया गया हो,

(2) उपधारा (3), (4) और (5) में अभ्यावेदन देने वाले व्यक्तियों के अभिदेश अभ्यावेदन देने वाले किसी स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण का अभिदेश हो ;

(ङ) धारा 64 में—

(1) उपधारा (1) में, खण्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा गया हो —

"(एफ) जो ऐसा स्थानीय प्राधिकरण या पुलिस प्राधिकरण हो जिसने अनुज्ञा-पत्र दिये जाने का विरोध किया हो, उसके दिये जाने अथवा तत्सम्बन्धी किसी शर्त से क्षुब्ध हो, या";

(2) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा गया हो:—

"स्पष्टीकरण—सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि जब धारा 43-ए के अधीन राज्य सरकार द्वारा अथवा धारा 63-ए की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अधीन कमीशन द्वारा जारी किये गये किसी निदेश के अनुसरण में राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया जाय और कोई व्यक्ति ऐसे आदेश से इस कारण क्षुब्ध हो कि वह ऐसे निदेशों के अनुरूप नहीं है, तो वह उपधारा (1) के अधीन राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण को ऐसे आदेश के विरुद्ध, किन्तु इस प्रकार जारी किये गये निदेश के विरुद्ध नहीं, अपील कर सकता है।"

3—मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 9, 1972 का निरसन

यू० एस० यू० पी०—ए० पी०—61 जनरल (लेग)—1972—1,877+50 (मे०)।

विधान ... ालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर ..., लखनऊ

165620

L.A.
15/78.32 H
cop. 2

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1978)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 23 अगस्त, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 29 अगस्त, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 29 सितम्बर, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड (क) में दिनांक 6 अक्तूबर, 1979 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ।)

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

PRICE 15 PAISE

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा । **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 28 मार्च, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 3-खण्ड (क) देखिये]

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

ऐक्ट संख्या 4, 1939 में धारा 66-बी का बढ़ाया जाना

2—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 66-ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

राज्य परिवहन उपक्रमों की यात्री गाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने के लिए शास्ति

"66-बी (1)—कोई यात्री जो किसी राज्य परिवहन उपक्रम की किसी यात्री गाड़ी में यात्रा करते समय या यात्रा कर लेने पर, की गयी यात्रा के लिए उपक्रम द्वारा निर्धारित दर पर किराया या उसका भाग देने से बचता है या बचने का प्रयास करता है तो उपक्रम के प्रधान प्रबन्धक द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक द्वारा मांग करने पर किराया और यात्री कर की असंदत्त धनराशि के अतिरिक्त, असंदत्त किराया और यात्री कर के बराबर अतिरिक्त प्रभार राशि या पांच रुपये, जो भी अधिक हो, का देनदार होगा।

स्पष्टीकरण—यात्री ने किस स्टाप से यात्रा प्रारम्भ की, इस बारे में सन्देह होने की स्थिति में, किराये की गणना प्रारम्भिक बस स्टेशन से की जायगी।

(2) कोई यात्री जो उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम अपराध की स्थिति में एक सौ रुपया और किसी अनुवर्ती अपराध की स्थिति में तीन सौ रुपये तक हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा और उपधारा (1) में निर्दिष्ट, उपक्रम के अधिकारी या सेवक, और उनमें से किसी के द्वारा सहायता के लिए बुलाये गये समस्त व्यक्तियों के लिए, अपराधी को गिरफ्तार करना और निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को सौंप देना विधिपूर्ण होगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना से अधिकृत राज्य परिवहन उपक्रम का कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन उपधारा (1) के अधीन असंदत्त शेष धनराशि और प्रशमन फीस की ऐसी धनराशि के, जिसे वह उचित समझे और जो अपराध के लिए निर्धारित जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से अधिक न हो, वसूल हो जाने पर, अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, कर सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन,—

(एक) अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी पर ऐसे अपराध के लिए अभियोग नहीं चलाया जायगा, और यदि वह अभिरक्षा में हो तो उसे मुक्त कर दिया जायगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां प्रशमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति के समान होगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में, पद 'राज्य परिवहन उपक्रम' का वही अर्थ होगा जो धारा 68-ए के खण्ड (बी) में उसके लिए दिया गया है।

धारा 67 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 67 में, उपधारा (2) में, खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

(सी) किसी यात्री से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह कन्डक्टर या ड्राइवर को ऐसी यात्रा की घोषणा करे जिसे वह गाड़ी में करना चाहता हो या कर चुका हो, और ऐसी सम्पूर्ण यात्रा के लिए किराये का भुगतान करे और उसके लिए व्यवस्थित टिकट प्राप्त करे।"

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 100 सा० (विधा०)—4-7-79—(1090)—1979—1,834+50 S.S. (मेक०)।

No. 530(2)/XVII-V-1—1(KA)6-1989

Dated Lucknow, March 20, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Motor Yan (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 20, 1989.

THE MOTOR VEHICLES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1989

[U. P. Act no. 8 of 1989]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Motor Vehicles Act, 1939 in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows : -

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1989.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 7, 1989.

Amendment of section 68-F of Act no. 4 of 1939

2. In section 68-F of the Motor Vehicles Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, *after* sub-section (1-E), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-F) It shall be lawful for a State Transport undertaking to operate on any route as stage carriage, under any permit issued therefor to such undertaking under sub-section (1), any vehicle placed at the disposal and under the domain and control of such undertaking by the owner of such vehicle under an arrangement entered into between such owner and undertaking for the use of the said vehicle by the undertaking."

U.P. Ordinance no.2 of 1989

3. (1) The Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1989, is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 217 सा० (विधा०)—(3899)—1989—850 (मेक०)।

क्रम-संख्या—270

रजि० नं० एल० डब्ल्यू/एन० पी० 661
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

195668
15 | 2-A-8/93-5
प्रति/3

लखनऊ, शनिवार, 3 अप्रैल, 1993
चैत्र 13, 1915 शक सम्वत्

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 555/XVII-V-1—1(KA) 3-1993
Dated Lucknow, April 3, 1993

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

The following President's Act enacted on April 3, 1993 is published for general information :

THE MOTOR VEHICLES (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1993

(PRESIDENT'S ACT NO. 5 OF 1993)

Enacted by the President in the Forty-fourth Year of the Republic of India

AN
ACT

further to amend the Motor Vehicles Act, 1988 *in its application to* ***Uttar Pradesh.***

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1993, the President is pleased to enact as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1993.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 16th day of January, 1993.

Amendment of section 103 of Act 59 of 1988

2. In section 103 of the Motor Vehicles Act, 1988 (hereinafter referred to as the principal Act), *after* sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted,* namely :—

"(1-*A*) It shall be lawful for a State transport undertaking to operate on any route as stage carriage, under any permit issued therefor to such undertaking under sub-section (1) any vehicle placed at the disposal and under the control of such undertaking by the owner of such vehicle under any arrangement entered into between such owner and the undertaking for the use of the said vehicle by the undertaking.".

Repeal and saving

3. (1) The Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1993 is hereby repealed. Ordinance 14 of 1993

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act.

SHANKER DAYAL SHARMA,
President.

B. R. ATRE,
Joint Secretary to the Govt. of India.

REASONS FOR THE ENACTMENT

The Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1989 (Act 8 of 1989) was enacted to amend the Motor Vehicles Act, 1939 in its application to Uttar Pradesh to authorise the Uttar Pradesh State Transport Undertaking to operate on any route as stage carriage, any vehicle placed at the disposal and under the domain and control of the said Undertaking by the owner of such vehicle under an agreement entered into between such owner and the said Undertaking for the use of such vehicle by the said Undertaking under a permit issued under the 1939 Act. Consequent upon the repeal of the 1939 Act, by the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) the aforesaid provisions under the 1939 Act ceased to operate on and from July, 1989. The Undertaking has been facing great difficulties in providing adequate road transport services because of the acute paucity of buses in its fleet.

2. In order to remove the said difficulties and to provide adequate road transport services on such routes the Motor Vehicles Act, 1988 was amended for local application in the State of Uttar Pradesh, through the Motor Vehicles (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1993 (Ordinance 14 of 1993) when the Parliament was not in session.

3. Parliament has, under article 357(1)(*a*) of the Constitution, conferred on the President the power of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws *vide* the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1993.

It has, therefore, been decided that the said Ordinance shall be replaced by the Presidential enactment.

4. Under the proviso to sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1993, the President shall, before enacting any President's Act, consult a Committee constituted for the purpose consisting of the members of both the Houses of Parliament. As the provisions of the aforesaid Ordinance will be expiring on 4th April, 1993, and it is necessary to replace that Ordinance by the President's Act before that date. The said Committee has not so for been constituted. It is not practicable to consult the said Committee prior to the enactment of this Bill. The measure is accordingly, being enacted without reference to the said Committee.

S. P. BAGLA,
Secy. to the Govt. of India,
Ministry of Surface Transport.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 3 सा०(विधा०)-(10)-1993-850 (मैक०)